सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 340/2018 दायर दिनांक 15.10.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. खेमाराम पुत्र श्रीकिशन, जाति—स्वामी, उम्र—56साल, निवासी—लादड़िया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

उपस्थितः—

1. श्री पूरणसिंह बोहरा, वकील, वादी।

दिनॉक 15.02.2019

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद लादड़िया में खेत खसरा नम्बर 245 रकबा 42.14 बीघा भूमि अवस्थित है। जो वादी के खातेदारी की भूमि है।

बाल्यकाल में वादी का नाम खींवदास भी था जो वादी के पिता श्रीकिशन उर्फ किशनास की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में फौतगी नामान्तरकरण में दर्ज हो गया।

वादी का नाम वादी के अन्य दस्तावेजात् में खेमाराम पुत्र श्रीकिशन दर्ज है परन्तु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खींवदास पुत्र किशनदास दर्ज होने से वादी को नाम का भिन्न इन्द्राज से काफी परेशानियाँ होती है। वादी के अलावा गॉव इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है व वादग्रस्त भूमि के राजसव रिकॉर्ड में वादी अपना नाम खींवदास के स्थान पर खेमाराम दुरस्त करवाने बाबत् दावा पेश करता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद, संख्या 340/2018
दायर दिनाँक 15.10.2018, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
खेमाराम बनाम् तहसीलदार डीडवाना।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद लादड़िया में खेत खसरा नम्बर 245 रकबा 42.14 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान दर्ज खींवदास पुत्र किशनदास के स्थान पर खेमाराम पुत्र श्रीकिशन दुरस्त किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम लादड़िया सम्वत् 2073–2076 खेवट संख्या 375/340 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पटवारी हल्का लादड़िया की रिपोर्ट, कार्यालय ग्रामपंचायत लादड़िया द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संख्या 285 दिनाँक 27.09.2018, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र नम्बर AZB/0709097 की स्वसत्यापित छायाप्रति, आधार संख्या 330087308409 की स्वसत्यापित छायाप्रति, पेश है।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान वकील वादी का कथन है कि, खेमाराम पुत्र किशनदास और खींवदास पुत्र श्रीकिशन निवासी एक ही व्यक्ति है। वादी खेमाराम को खेमाराम और खींवदास दौनों नामों से गाँव में पहचाना जाता है तथा इस नाम को गाँव में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। वादी के समस्त अन्य पहचान–पत्रों यथा– वोटर आई.डी.कार्ड व आधार कार्ड आदि में खेमाराम पुत्र श्रीकिशन दर्ज है। ग्राम पंचायत लादड़िया द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में भी इस बात को प्रमाणित किया है कि, खेमाराम और खींवदास एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। इसलिए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खींवदास पुत्र किशनदास के स्थान पर खेमाराम पुत्र श्रीकिशन

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद, संख्या 340 / 2018
दायर दिनाँक 16.10.2018, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
खेमाराम बनाम तहसीलदार डीडवाना।

दुरस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

वाद का किसी पक्षकार की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। विद्वान वकील वादी की इस्तदुआ व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाकर, वादी द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी का नाम "खींवदास पुत्र किशनदास" के स्थान पर "खेमाराम उर्फ खींवदास पुत्र श्रीकिशन उर्फ किशनदास" दुरस्त किया जाना अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद लादड़िया के खसरा नम्बर 245 रकबा 42.14 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के नाम "खींवदास पुत्र किशनदास" के स्थान पर "खेमाराम उर्फ खींवदास पुत्र श्रीकिशन उर्फ किशनदास" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **15.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 340 / 2018 दायर दिनाँक 15.10.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. खेमाराम पुत्र श्रीकिशन, जाति—स्वामी, उम्र—56साल, निवासी—लादडिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

दिनाँक 15.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद लादड़िया के खसरा नम्बर 245 रकबा 42.14 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के नाम "खींवदास पुत्र किशनदास" के स्थान पर "खेमाराम उर्फ खींवदास पुत्र श्रीकिशन उर्फ किशनदास" दुरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—.............. बाबत............. ....—...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 15.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–340–2018 / रीडर / 2019 / 199 दिनाँक 26/12/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बावत्।

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. खेमाराम पुत्र श्रीकिशन, जाति–स्वामी, उम्र–56साल, निवासी–लादड़िया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner